



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28112025-268057
CG-DL-E-28112025-268057

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5184]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 24, 2025/अग्रहायण 3, 1947

No. 5184]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 24, 2025/AGRAHAYANA 3, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2025

का.आ. 5360(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956) का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा उक की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के लातूर जिले के तालुका लातूर में राष्ट्रीय महामार्ग 63 किमी. 20+470 (येडशी) से किमी. 88+150 (लातूर) महाराष्ट्र तक के निर्माण (दो चार लेन पेव्हुड शोल्डर का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा,

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी द्वारा शिव लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा:

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा, और

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय महामार्ग 63 टेंभुर्णी-कुईवाडी-बार्शी-येडशी-मुरुड-लातूर पैकेज -3 किमी. 20+470 (येडशी) से किमी. 88+150 (लातूर) महाराष्ट्र तक के लिये अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: धाराशिव (उस्मानाबाद)		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: धाराशिव (उस्मानाबाद)					
गांव का नाम: दुधगाव					
1	130	निजी	कृषि	0.005 (हेक्टेयर)	0.005
2	131	निजी	कृषि	0.0755 (हेक्टेयर)	0.0755
3	132	निजी	कृषि	0.0465 (हेक्टेयर)	0.0465
4	133	निजी	कृषि	0.025 (हेक्टेयर)	0.025
गांव का नाम: येडशी					
5	119	निजी	कृषि	0.276 (हेक्टेयर)	0.276
6	19	निजी	कृषि	0.1394 (हेक्टेयर)	0.1394
7	2	निजी	कृषि	0.047 (हेक्टेयर)	0.047
8	20	निजी	कृषि	0.2275 (हेक्टेयर)	0.2275
9	3	निजी	कृषि	0.014 (हेक्टेयर)	0.014
10	4	निजी	कृषि	0.005 (हेक्टेयर)	0.005
11	43	निजी	कृषि	0.179 (हेक्टेयर)	0.179
12	45	निजी	कृषि	0.2225 (हेक्टेयर)	0.2225
13	46	निजी	कृषि	0.204 (हेक्टेयर)	0.204
14	47	निजी	कृषि	0.098 (हेक्टेयर)	0.098
15	48	निजी	कृषि	0.087 (हेक्टेयर)	0.087
16	50	निजी	कृषि	0.219 (हेक्टेयर)	0.219
17	54	निजी	कृषि	0.1335 (हेक्टेयर)	0.1335
18	55	निजी	कृषि	0.1155 (हेक्टेयर)	0.1155
19	56	निजी	कृषि	0.002 (हेक्टेयर)	0.002
20	57	निजी	कृषि	0.002 (हेक्टेयर)	0.002
21	58	निजी	कृषि	0.367 (हेक्टेयर)	0.367
22	59	निजी	कृषि	0.4925 (हेक्टेयर)	0.4925

23	61	निजी	कृषी	0.167 (हेक्टेयर)	0.167
24	64	निजी	कृषी	0.18 (हेक्टेयर)	0.18
25	65	निजी	कृषी	0.067 (हेक्टेयर)	0.067
26	79	निजी	कृषी	0.141 (हेक्टेयर)	0.141
27	80	निजी	कृषी	0.13 (हेक्टेयर)	0.13
28	81	निजी	कृषी	0.272 (हेक्टेयर)	0.272
29	83	निजी	कृषी	0.1975 (हेक्टेयर)	0.1975
30	85	निजी	कृषी	0.2475 (हेक्टेयर)	0.2475
31	86	निजी	कृषी	0.389 (हेक्टेयर)	0.389
32	87	निजी	कृषी	0.3 (हेक्टेयर)	0.3
33	88	निजी	कृषी	0.067 (हेक्टेयर)	0.067
34	92	निजी	कृषी	0.2125 (हेक्टेयर)	0.2125
गांव का नाम: ढोकी					
35	14	सरकारी	कृषी	0.036 (हेक्टेयर)	0.036
36	15	निजी	कृषी	0.07 (हेक्टेयर)	0.07
37	16	सरकारी	कृषी	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
38	238	निजी	कृषी	0.118 (हेक्टेयर)	0.118
39	239	निजी	कृषी	0.138 (हेक्टेयर)	0.138
40	240	निजी	कृषी	0.132 (हेक्टेयर)	0.132
41	242	निजी	कृषी	0.201 (हेक्टेयर)	0.201
42	278	निजी	कृषी	0.052 (हेक्टेयर)	0.052
43	279	निजी	कृषी	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
44	795	निजी	कृषी	0.089 (हेक्टेयर)	0.089
Total					6.3994

[फा. सं. NH-Inprinciple-MHR-2016-17-1011/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2025

S.O. 5360(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (four-laning, Paved shoulder etc), maintenance, management and operation of **National Highway No. 63**, in the stretch of land from Tembhurni-Kurduwadi-Barshi-Yedshi- MurudLatur Package-3 Km. 20+470(Yedshi) To Km.88+150 (Latur) in the Dharashiv district of Dharashiv in the State of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the **Sub-Divisional Officer and Land Acquisition Officer Dharashiv** in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch land of NH-63 Tembhurni-Kurduwadi-Barshi-Yedshi- Murud-Latur from Package-3 Km. 20+470 (Yedshi) to Km. 88+150 (Latur) in the state of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA			District: Dharashiv (OSMANABAD)		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Dharashiv (OSMANABAD)					
Village: Dudhgaon					
1	130	Private	Agriculture	0.005 (Hectare)	0.005
2	131	Private	Agriculture	0.0755 (Hectare)	0.0755
3	132	Private	Agriculture	0.0465 (Hectare)	0.0465
4	133	Private	Agriculture	0.025 (Hectare)	0.025
Village: Yedshi					
5	119	Private	Agriculture	0.276 (Hectare)	0.276
6	19	Private	Agriculture	0.1394 (Hectare)	0.1394
7	2	Private	Agriculture	0.047 (Hectare)	0.047
8	20	Private	Agriculture	0.2275 (Hectare)	0.2275
9	3	Private	Agriculture	0.014 (Hectare)	0.014
10	4	Private	Agriculture	0.005 (Hectare)	0.005
11	43	Private	Agriculture	0.179 (Hectare)	0.179
12	45	Private	Agriculture	0.2225 (Hectare)	0.2225
13	46	Private	Agriculture	0.204 (Hectare)	0.204
14	47	Private	Agriculture	0.098 (Hectare)	0.098
15	48	Private	Agriculture	0.087 (Hectare)	0.087
16	50	Private	Agriculture	0.219 (Hectare)	0.219
17	54	Private	Agriculture	0.1335 (Hectare)	0.1335
18	55	Private	Agriculture	0.1155 (Hectare)	0.1155
19	56	Private	Agriculture	0.002 (Hectare)	0.002
20	57	Private	Agriculture	0.002 (Hectare)	0.002
21	58	Private	Agriculture	0.367 (Hectare)	0.367
22	59	Private	Agriculture	0.4925 (Hectare)	0.4925
23	61	Private	Agriculture	0.167 (Hectare)	0.167
24	64	Private	Agriculture	0.18 (Hectare)	0.18
25	65	Private	Agriculture	0.067 (Hectare)	0.067

26	79	Private	Agriculture	0.141 (Hectare)	0.141
27	80	Private	Agriculture	0.13 (Hectare)	0.13
28	81	Private	Agriculture	0.272 (Hectare)	0.272
29	83	Private	Agriculture	0.1975 (Hectare)	0.1975
30	85	Private	Agriculture	0.2475 (Hectare)	0.2475
31	86	Private	Agriculture	0.389 (Hectare)	0.389
32	87	Private	Agriculture	0.3 (Hectare)	0.3
33	88	Private	Agriculture	0.067 (Hectare)	0.067
34	92	Private	Agriculture	0.2125 (Hectare)	0.2125
Village: Dhoki					
35	14	Government	Agriculture	0.036 (Hectare)	0.036
36	15	Private	Agriculture	0.07 (Hectare)	0.07
37	16	Government	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
38	238	Private	Agriculture	0.118 (Hectare)	0.118
39	239	Private	Agriculture	0.138 (Hectare)	0.138
40	240	Private	Agriculture	0.132 (Hectare)	0.132
41	242	Private	Agriculture	0.201 (Hectare)	0.201
42	278	Private	Agriculture	0.052 (Hectare)	0.052
43	279	Private	Agriculture	0.01 (Hectare)	0.01
44	795	Private	Agriculture	0.089 (Hectare)	0.089
Total					6.3994

[F. No. NH-Inprinciple-MHR-2016-17-1011/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director